मेरे लिए यह सम्मान का विषय है कि भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 76वें सम्मेलन में आप सबके बीच उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है । राजस्थान विधान सभा तीसरी बार इस सम्मेलन का आयोजन कर रही है । इसके पूर्व 1957 और 1978 में ऐसे सम्मेलनों का आयोजन किया गया था । मैं राजस्थान विधान सभा के माननीय अध्यक्ष को इस सम्मेलन का आयोजन करने और हम सभी को एक बार पुनः इस शहर में आने का अवसर देने के लिए हार्दिक धन्यवाद देती हूँ । मैं इस सम्मेलन के लिए की गई उत्कृष्ट व्यवस्था से अभिभूत हूँ ।

यद्यपि समस्त वीरप्रसू भारत भूमि अपने सपूतों के शौर्य के लिए विख्यात रही है, पर राजस्थान का अपना विशेष स्थान है । महाराणा प्रताप, पंजूभील, भामाशाह, आदि अनेक सूरमाओं की वीरगाथाएं किंवदन्तियां बन गई हैं जिनकी अनुगूंज यहाँ के लोकगीतों में उतर कर आज भी वातावरण में तैर रही है । "चार बांस चौबीस गज अंगुल अष्ट प्रमाण एते ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान" के रचयिता, अचूक धनुर्धर पृथ्वीराज के राजकवि चन्दबरदाई के पृथ्वीराज रासो से लेकर तमाम रासो ग्रंथों की परम्परा इसी की देन है । पराक्रम की इस अविरल कड़ी को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान के रणबांकुरे आज हमारी सीमाओं पर तैनात हैं । पन्ना धाय के अभूतपूर्व त्याग की उज्ज्वल गाथा पूरे देश को आलोकित कर रही है । कृष्णमयी मीराबाई के भजनों से किसका हृदय भक्तिभाव से ओत-प्रोत नहीं हो जाता ? कौन है, जो अजमेर शरीफ में ग़रीब नवाज के दर पर सजदा नहीं करता ?

लोकनृत्य-संगीत की संक्रामक ऊर्जा, शास्त्रीय संगीत की यशस्वी परम्परा, जयपुर घराने की विशिष्ट कथक नृत्य शैली यहाँ की अनूठी संस्कृति के उदाहरण हैं । धातु और प्रस्तर शिल्प, खासकर संगमरमर के मूर्ति शिल्प, काष्ठ शिल्प तारकशी, ज़ारदोज़ी तथा चमड़े के उत्कृष्ट कार्य यहाँ होते हैं । कुन्दन, सोने-चाँदी पर नक्काशी, बंधेज, लहरिया, सांगानेरी छपाई यहां के हुनर की बारीकियों का बखान करते हैं । यहाँ बिखरे जीवन के अनगिनत रंगों से थार की मरुभूमि जीवन्त हो उठी है ।

खगोलविज्ञ महाराजा सवाई जय सिंह, द्वितीय द्वारा 18वीं शताब्दी में प्राचीन भारतीय वास्तुशास्त्र के आधार पर स्थापित यह जयपुर शहर, इस क्षेत्र की अमूल्य विरासत का दर्पण है । यहाँ की वेधशाला, अभेद्य और विशाल दुर्गों, आलीशान महलों, सुन्दर उद्यानों और बहुवर्णी तीज त्यौहारों, गणगौर और अन्य उत्सवों के रंग में रचा यह मनोहारी शहर न केवल परंपरा और आधुनिकता का अद्‌भुत संगम है, अपितु राज्य का तीव्र गति से विकासमान औद्योगिक केन्द्र भी है ।

मेरा यहाँ से पुराना रिश्ता है । अपने बचपन और किशोरावस्था के कई वर्ष मैंने यहाँ व्यतीत किए हैं — वनस्थली विद्यापीठ और जयपुर एम.जी.डी. स्कूल में । यहाँ रह कर बहुत सी अच्छी बातें सीखीं, जो समय-समय पर, विशेषकर कठिन समय में काम आती हैं । यहां की मिट्टी मेरे लिए चंदन है । यहाँ के मेहनती, सीधे-सच्चे लोगों को मैं प्रणाम करती हूँ ।

मेरे साथी पीठासीन अधिकारीगण, आप निश्चित ही मेरी इस बात से सहमत होंगे कि 1921 में अपनी स्थापना के बाद से विगत् दशकों के दौरान पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन वाद-विवाद और विचार-विमर्श के लिए एक ऐसे जीवंत और शक्तिशाली मंच के रूप में विकसित हुआ है, जहाँ हम नियमित अंतरालों पर एकत्र होते हैं । ऐसे सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य उन समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करना है, जिनका सामना हम अपनी प्रणाली में काम करते हुए करते हैं । साथ ही इसका उद्देश्य समाज की बदलती आवश्यकताओं के साथ प्रणाली को जवाबदेह और लचीला बनाना है । आज इस मंच का उपयोग न केवल संसदीय पद्धतियों और प्रक्रियाओं से संबंधित मुद्दों, बल्कि हमारी संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण अन्य विषयों पर भी विचार-विमर्श करने के लिए होता है । हमारे सम्मेलनों ने हमारे विधायी निकायों में सुदृढ़ लोकतांत्रिक परिपाटियों और संसदीय पद्धतियों तथा प्रक्रियाओं की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है ।

श्रीनगर सम्मेलन के पश्चात् हमारे साथ चौबीस पीठासीन अधिकारी जुड़े हैं । मैं आप सभी की ओर से तथा अपनी ओर से इन सभी का हमारा सहयोगी बनने पर हार्दिक अभिनन्दन करती हूँ और इस सम्मेलन में उनका

स्वागत करती हूँ । इसके साथ ही, मैं उन सहयोगियों की भी भूरि-भूरि प्रशंसा करती हूँ, जिन्होंने हमारे इस प्रयास में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है, किन्तु पिछले सम्मेलन के बाद से वे अपने पदों पर नहीं हैं ।

मित्रो, परम्परानुसार, अब मैं संसदीय महत्व की उन कुछेक महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में संक्षेप में बताना चाहूंगी, जो जून, 2010 में श्रीनगर में हुए हमारे पिछले सम्मेलन के पश्चात् घटित हुई हैं । इस अवधि के दौरान पन्द्रहवीं लोक सभा का पांचवां, छठा, सातवां और आठवां सत्र सम्पन्न हुआ ।

पांचवें सत्र की शुरुआत 26 जुलाई को तथा समापन 31 अगस्त, 2010 को हुआ था । 28 जुलाई, 2010 को प्रश्न-काल के दौरान कुछ सदस्यों ने पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि और इसके फलस्वरूप आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से देश में आम आदमी के प्रभावित होने पर चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव की अपनी सूचनाओं के संबंध में निवेदन किया था । मैंने उन सूचनाओं को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि कोई स्थगन प्रस्ताव तभी स्वीकार किया जाता है, जब सरकार संविधान और विधि द्वारा उसे आदेशित कÄव्यों का निर्वहन करने में असफल रही हो । तथापि, समस्या के बारे में माननीय सदस्यों की चिन्ताओं का ध्यान रखते हुए, मैंने टिप्पणी की कि आम आदमी को प्रभावित करने वाली महंगाई को नियंत्रित करने वाले उपायों को लागू करने संबंधी निर्णय पर सभा में चर्चा किए जाने की आवश्यकता है और इस पर चर्चा की जा सकती है, जो समुचित सूचनाओं के माध्यम से किसी और स्वरूप में की जानी चाहिए । फलतः सदन में इस विषय पर नियम 191 व 342 के अंतर्गत चर्चा हुई । तत्पश्चात्, मैंने सभा के समक्ष निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया:— "यह सभा, देश की अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के दबाव पर विचार करने के पश्चात्, सरकार से आग्रह करती है कि वह आम आदमी पर इसके प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आगे प्रभावी कार्रवाई करें ।" सभा संकल्प से सहमत हुई ।

जैसे-जैसे मानसून सत्र आगे बढ़ा, लोक सभा में नियम 193 के तहत तत्काल निपटाये जाने वाले लोक महत्व के अनेक मामलों पर चर्चा हुई,

जिनमें विभिन्न राज्यों में अवैध खनन के बारे में 17 अगस्त, 2011 को हुई अल्पकालिक चर्चा भी शामिल है । मामले की गंभीरता को देखते हुए, मैंने चर्चा की अनुमति दे दी थी, हालांकि कतिपय राज्यों में अवैध खनन से संबंधित याचिकाएं माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित पड़ी थीं । अतः इस संबंध में हमने यह ध्यान रखा कि वाद-विवाद के दौरान कुछ भी ऐसा न कहा जाए, जिससे किसी भी प्रकार से मुकदमों के नतीजे प्रभावित हों । प्रस्ताव पर चर्चा अधूरी रही । इसके अतिरिक्त, सभा ने देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध हो रही अत्याचार की बढ़ती घटनाओं से उत्पन्न स्थितियों पर भी चर्चा की । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के प्रक्रियात्मक उपाय का लाभ उठाते हुए, सदस्यों ने देश में खाद्य और खाद्य पदार्थों में बेरोक-टोक मिलावट तथा "ऑनर किलिंग " की घटनाओं में हाल में हुई वृद्धि का भी उल्लेख किया ।

पन्द्रहवीं लोक सभा का छठा सत्र शीतकालीन सत्र होने के कारण 9 नवम्बर, 2010 को शुरू हुआ और उसका समापन 13 दिसम्बर, 2010 को हुआ । सभा में 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन के मुद्दे पर विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच कई दिनों तक वैचारिक मतभेद के कारण सभा की कार्यवाही नहीं चल सकी । सभा में जारी गतिरोध को देखते हुए, मैंने कई बार लोक सभा के विभिन्न दलों के नेताओं के साथ बैठकें कीं तथा उनसे सभा की कार्यवाही निर्बाध रूप से संचालित करने के लिए सहयोग मांगा ।

पन्द्रहवीं लोक सभा का सातवां सत्र 21 फरवरी, 2011 को आरंभ हुआ । वर्ष का पहला तथा बजट सत्र होने के नाते, यह सत्र भारत की राष्ट्रपति द्वारा संसद के केन्द्रीय कक्ष में एकत्र हुए दोनों सभाओं के सदस्यों को संबोधित करने से शुरू हुआ । सत्र का समापन 25 मार्च, 2011 को हुआ । सत्र के दौरान सभा ने 'दूरसंचार लाइसेंसों और स्पेक्ट्रम का आवंटन तथा इनके मूल्य-निर्धारण' के बारे में संसद की दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति नियुक्त करने का एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया । प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और विस्तृत चर्चा के पश्चात् 24 फरवरी, 2011 को सभा द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया । इसके बाद,

जैसा कि हम सब जानते हैं, श्री पी.सी. चाको की अध्यक्षता में एक संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई ।

सत्र के दौरान, सभा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को भी स्वीकार किया तथा वर्ष 2011-12 के रेल बजट और सामान्य बजट पर चर्चा की तथा उन्हें पारित किया । इसी दौरान, कुछ राज्यों में अप्रैल-मई में होने वाले विधान सभा चुनावों की दृष्टि से सभा की बैठकों को पुनः निर्धारित किया गया । इसलिए, इन बदली हुई परिस्थितियों में संबंधित स्थायी समितियों द्वारा मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों की जांच किए बिना रेल बजट और सामान्य बजट के पारित किए जाने को सुकर बनाने के लिए संसदीय कार्य मंत्री, श्री पवन कुमार बंसल ने 7 मार्च, 2011 को नियम 331छ के स्थगन का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे सभा ने स्वीकार कर लिया । तत्पश्चात्, मैंने निम्नलिखित टिप्पणी कीः '........हालांकि संबंधित विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों के पास भेजे बिना अनुदानों की मांगों के पारित किए जाने को सुगम बनाने के लिए प्रक्रिया नियमों के नियम 331छ को स्थगित किया गया है, फिर भी समितियों को संबंधित मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों की जांच करनी चाहिए और उन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने चाहिएं ..... ' । मुझे यह कहते संतोष हो रहा है कि उक्त प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखे जा चुके हैं ।

आपको स्मरण होगा कि वर्ष 2010 के बजट सत्र के दौरान, मैंने गिलोटिन किए जाने वाले अनुदानों की मांगों के कटौती प्रस्तावों को पहली बार प्रस्तुत करने की अनुमति दी थी । तथापि, उन कटौती प्रस्तावों के निपटाने में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां आईं । इसलिए, मैंने यह महसूस किया कि कुछ प्रक्रिया सुनिश्चित करना उपयुक्त होगा । तद्नुसार, मैंने, उन माननीय सदस्यों से जिनकी बकाया मांगों के कटौती प्रस्ताव परिचालित किए जाने थे, यह अनुरोध किया कि गिलोटिन के समय जिन-जिन कटौती प्रस्तावों को वे प्रस्तुत करना चाहते हैं, उनके क्रमांक वाली पर्ची इस संबंध में घोषणा होने के 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर पहुंचा दें । केवल उन्हीं सदस्यों को गिलोटिन के समय कटौती प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी, जिन्होंने निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी पर्चियां पटल पर भेज दी थीं ।

इसी प्रकार, आठवां सत्र जो 1 अगस्त से प्रारम्भ हुआ और 8 सितंबर, 2011 को समाप्त हुआ, बहुत घटनापूर्ण रहा । इसमें तत्काल निपटाये जाने वाले लोक महत्व के मामलों, जैसे राष्ट्रमंडल खेल, 2010 से संबंधित विषयों, देश में व्यापक भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति और लोकपाल के गठन से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श किया गया ।

4 अगस्त को लोकपाल विधेयक, 2011 लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया । सभा में एक शक्तिशाली और प्रभावशाली लोकपाल के गठन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए 27 अगस्त को एक लम्बी बहस हुई । उस दिन शनिवार होने के बावजूद इस काम के लिए सभा की एक अतिरिक्त बैठक बुलाई गई थी । वित्त मंत्री, श्री प्रणब मुखर्जी के उत्तर के साथ बहस के समापन से पूर्व इस विषय पर लगभग एक सौ छब्बीस सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए । सभा की राय लेकर उस दिन की कार्यवाही को कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी विभाग से संबंधित स्थायी समिति के पास भेज दिया गया था । चूंकि यह समिति राज्य सभा के अधिकार-क्षेत्र में है, इसलिए वाद-विवाद की कार्यवाही को राज्य सभा के माननीय सभापति को भेज दिया गया । ऐसा पहली बार हुआ कि सभा की कार्यवाही को किसी स्थायी समिति के पास सीधे भेजा गया ।

8 नवम्बर, 2010 को अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दोनों सदनों के सदस्यों को केंद्रीय सभागार में सम्बोधित किया । अपने ओजस्वी और प्रेरणादायी सम्बोधन में उन्होंने राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आज मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूँ, क्योंकि मैंने महात्मा गांधी को अपने जीवन का आदर्श बनाया । उन्होंने आगे कहा – महात्मा गांधी ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह का सफल प्रयोग कर, विश्व के सामने अहिंसक आंदोलन के जरिये एक अभिनव क्रांति का उदाहरण प्रस्तुत किया । राष्ट्रपति ओबामा ने भारतीय प्रजातंत्र के सुदृढ़ आधार और जीवंतता की भूरी-भूरी प्रशंसा की ।

10 से 12 जुलाई, 2011 तक नई दिल्ली में दक्षेस देशों की संसदों के अध्यक्षों और सांसदों के संघ का पांचवां सम्मेलन आयोजित करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ । इस सम्मेलन में, जिसका उद्घाटन

माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा किया गया, हाल ही में शामिल अफगानिस्तान सहित, इस क्षेत्र के आठ देशों के तिरेपन प्रतिनिधियों ने भाग लिया । सम्मेलन के विषय थे — 'लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण', 'संसद और जनता के बीच विश्वास बढ़ाना' तथा 'दक्षेस देशों में सतत विकासः भावी नीति ।' इन विषयों पर दो दिनों में आयोजित किए गए छह सत्रों में विचार किया गया । सम्मेलन में अनेक विषयों पर सर्वसम्मति हुई तथा सभी दक्षेस देशों के अध्यक्षों और सांसदों के लिए मिल-जुलकर दक्षिण एशियाई क्षेत्र के साझे सरोकारों वाले महत्वपूर्ण विषयों पर विचारों का आदान-प्रदान करना वस्तुतः ज्ञानप्रद और सुखद अनुभव रहा । यह तय किया गया कि अगले सम्मेलन से प्रत्येक शिष्टमंडल में कम से कम एक महिला सदस्य अवश्य होंगी तथा इन प्रतिनिधियों की बैठक का भी आयोजन किया जाएगा ।

सम्मेलन के अंत में, शिष्टमंडल के सदस्य तथा अन्य अतिथिगण जयपुर और अजमेर शरीफ गए । मैं श्री शेखावत, अध्यक्ष राजस्थान विधान सभा तथा राजस्थान सरकार की आभारी हूं कि उन्होंने शिष्टमंडल के सदस्यों की यात्रा के दौरान बहुत अच्छी व्यवस्था की । मुझे विश्वास है कि अतिथिगण गुलाबी नगरी की सुखद स्मृतियों के साथ स्वदेश लौटे होंगे ।

पिछले सप्ताह 15 से 17 सितम्बर, 2011 तक दिल्ली में अन्तर-संसदीय संघ के साथ हमारी संसद ने एक विचार-गोष्ठी का आयोजन किया । इसमें एशियाई देशों के सांसदों ने महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकने के उपायों पर तीन दिन तक विचार-विमर्श किया । इस गोष्ठी में उनके अनुभवों का लाभ और उनके मूल्यवान सुझाव भी प्राप्त हुये । इस कार्यक्रम का सफल आयोजन भारतीय संसद द्वारा किया गया ।

सम्मेलन के विषयों के बारे में मैं यह कहना चाहूंगी कि यहां उठाए जा रहे मुद्दे निःसंदेह हमारी संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और इन पर विस्तारपूर्वक विचार किए जाने की आवश्यकता है। ये विषय हैंः विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयकों पर अनुमति के लिए अधिकतम अवधि का निर्धारण; सुशासन के लिए विधि निर्माण और उनकी संवीक्षा में विधायिका की भूमिका तथा गठबंधन सरकार का युगः— इसकी

अनिवार्यताएं और चुनौतियां । इसके अलावा, सम्मेलन के साथ-साथ हम संवैधानिक नियंत्रण और निरीक्षण प्रणाली को मजबूत करने के विषय पर भी संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं ।

सम्मेलन की कार्य-सूची में शामिल पहला विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो हमारी संसदीय प्रणाली के कामकाज से जुड़ा है । भारत के संविधान के अनुच्छेद 111 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करने के बाद ही राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति घोषित करेंगी कि विधेयक पर अपनी सहमति देती हैं या सहमति रोक लेती हैं । तथापि, अनुच्छेद 111 की व्यवस्था के अधीन राष्ट्रपति धन-विधेयक को छोड़कर, किसी अन्य विधेयक को संसद के सदनों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकती हैं । संविधान में ऐसी किसी समय-सीमा का उल्लेख नहीं है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति के लिए विधेयक पर सहमति देने या सहमति रोकने को बाध्यकर बनाया गया हो । इसके अलावा, अनुच्छेद 111 की व्यवस्था में यह भी कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक को लौटाना चाहती हैं, तो वे अपने समक्ष विधेयक प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् उसे यथाशीघ्र लौटायेंगी ।

इस सम्मेलन में चर्चा के लिए जो अन्य विषय चुना गया है, वह है 'सुशासन के लिए, विधि-निर्माण और इसकी संवीक्षा में विधायिका की भूमिका' । प्रस्तावित विधान की समीक्षा और जांच करना तथा इस पर चर्चा करना तथा इसको अंतिम रूप देने का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है । कानून बनाना इतना सरल नहीं है, जितना समझा जाता है । अधिनियम बनने से पहले एक विधेयक सुपरिभाषित प्रक्रियात्मक चरणों से गुजरता है — तीन वाचन, प्रवर/संयुक्त समिति/विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों को भेजा जाना, आम जनता की राय लिया जाना, विशेषज्ञों से परामर्श लेना आदि । विधि के अधिनियमित होने से पहले सभा में इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा और संवीक्षा होती है। इसके साथ ही इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों, गैर-सरकारी संगठनों एवं अन्य मंचों पर भी चर्चा होती है ।

लोकतांत्रिक शासन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमारी संसद का कुशल और प्रभावी कार्यकरण अत्यावश्यक है। छः दशकों से अधिक समय के कार्यकरण के दौरान हमारी संसदीय प्रणाली में सुप्रथाएं और परंपराएं सुस्थापित हुई हैं तथा समग्र रूप से हमारा लोकतंत्र भी सुदृढ़ हुआ है। किंतु फिर भी इस प्रणाली में कुछ समस्याएं आती हैं । मैं मानती हूं कि कभी-कभी स्थगन और अव्यवस्था के कारण विधायी कार्यवाही प्रभावित होती है । अतः इसे और अधिक त्रुटिरहित बनाने के लिए, इस प्रणाली के कार्यकरण की नियमित और सार्थक समीक्षा अनिवार्य है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस विषय पर चर्चा के दौरान इन सभी नए तथ्यों और चुनौतियों पर उचित ध्यान दिया जायेगा ।

जहां तक तीसरे विषय, 'गठबंधन युग' के उदय की बात है, तो इसका सीधा संबंध प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया में बढ़ती हुई जटिलताओं से है। आज चंद लोकतंत्र ही गठबंधन की राजनीति से अछूते हैं और भारत उनसे अलग नहीं है। भारतीय अनुभव दर्शाता है कि गठबंधन सरकारें इस देश के लिए नई नहीं हैं। गठबंधन का उदय हमारे देश में कुछ देर से हुआ, किंतु अब ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि बढ़ती हुई सामाजिक-राजनैतिक समस्याओं और सर्वसम्मति बनाने की प्रक्रिया में जिन अंतर्निहित जटिलताओं का सामना हम वर्तमान परिस्थितियों में करते रहे हैं, उनको देखते हुए यह प्रणाली एक समाधान के रूप में नजर आती है । हमें गठबंधन का एक दशक से भी अधिक का अनुभव है । तथापि, गठबंधन सरकारों की अपनी बाध्यताएं और चुनौतियां हैं, जिन पर इस सम्मेलन में सविस्तार विचार-विमर्श करना समीचीन होगा ।

किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसकी विधायी संस्थाओं आदि से बनता है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब विधायी निकायों के गौरव और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए सदैव प्रयास करते रहेगें और इस तरह संसदीय लोकतंत्र की उच्च्व परम्पराओं को बनाए रखेंगे ।

पीठासीन अधिकारियों के इस 76वें सम्मेलन के सुन्दर आयोजन के लिए मैं माननीय राज्यपाल श्री शिवराज वी.पाटिल जी; माननीय मुख्यमंत्री

श्री अशोक गहलोत जी; राजस्थान विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत जी को और इस आयोजन को सफल बनाने वाले सचिवालय के सभी कर्मियों के प्रति क़ृतज्ञता ज्ञापन करती हूँ । जिस प्रकार वे

माननीय अतिथियों की सुख-सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं और उनके राजस्थान-भ्रमण की समुचित व्यवस्था की है वह प्रशंसनीय है ।

मुझे आशा है कि सम्मेलन में हम काफी लाभप्रद विचार-विमर्श करेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ, इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है।

धन्यवाद ।

It is indeed a great honour for me to be amongst you at the 76th Conference of Presiding Officers of Legislative Bodies in India. This is the third time that the Legislative Assembly of Rajasthan is hosting this Conference, earlier being in 1957 and thereafter, in 1978. Let me take this opportunity to heartily thank the Hon'ble Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly for hosting this Conference and enabling us to return to this city once again. I am indeed overwhelmed by the excellent arrangements made for this Conference.

Though the entire India is famous for the valour of its brave sons, Rajasthan has always enjoyed a special place in this respect. The heroic tales of renowned warriors like Maharana Pratap, Panju Bheel, Bhama Shah and others have become legends, the echoes of which can be heard reverberating in the air even today. The famous lines from Prithviraj Raaso, *"Chaar baans chaubis gaj angul ashta praman eite oopar sultan hai mat chuke chauha"* were penned by Chandbardai, the royal poet from the court of unfailing archer, Prithviraj and in fact, the tradition of Raaso literary works has originated from this land. In keeping with this tradition of valour, the brave men of Rajasthan are guarding our borders in the modern times as well. The illustrious tale of extraordinary sacrifice by Panna Dhai has been an inspiration for the entire nation. There is hardly any one who is not moved by the hymns of Meerabai, the eternal devotee of Lord Krishna. Similarly who will not like to pay obeisance at the *Dargah* of *Garib Nawaz* at Ajmer Sharif.

The infectious energy of folk dances and songs, the glorious tradition of classical music, the special dance form of Kathak of Jaipur *Gharana* are shining examples of the wonderful culture of Rajasthan. Excellent craft works like

metal and stone crafts, especially marble sculpture, wood crafts, wire drawing, exquisite embroidery and leather works are executed here. Kundan work, gold and silver designing, Bandhej, Lahariya, Sanganeri prints are examples of delicate and fine craftsmanship of Rajasthan. The desert of Thar comes alive with the wide spectrum of colours of life spread in this land.

The city of Jaipur, founded by the astronomer King, Maharaja Sawai Jai Singh II in the eighteenth century is based on ancient Indian architecture and is a true mirror of priceless legacy of the region. This beautiful city famous for its observatory, impenetrable and majestic forts, magnificent palaces, ornamental gardens and multi-coloured Teej, Gangaur and other festivals, is not only a remarkable mixture of tradition and modernity but is also a fast growing industrial centre of the State.

I have had an old association with this city. I have spent several years of my childhood and adolescence at Vanasthali Vidyapeeth and MGD School at Jaipur. I learnt several things here which have helped me particularly in tough times. This land is most revered for me. I bow to the hardworking, simple and pure hearted people of this land.

My fellow Presiding Officers, you will certainly agree with me, since its inception in 1921, over the decades, the Conference of Presiding Officers has evolved into a lively and powerful forum for debate and discussion, where we meet at regular intervals. The aim of holding such a Conference is to focus on the problems we face while functioning with our system and to help make it more responsive and resilient to the changing need of the society. Today, this is the forum for discussing matters relating not only to parliamentary practices and procedures but also various other issues having a vital significance for our parliamentary democratic system. Our

Conferences have gone a long way in establishing sound democratic conventions and parliamentary practices and procedures in our Legislative Bodies.

After the Srinagar Conference, we have had as many as twenty-four Presiding Officers joining our fraternity. On behalf of all of you and on my own behalf, I extend a hearty welcome to each one of them on joining us and also welcome them to this Conference. At the same time, I would like to appreciate the valuable contribution made by those colleagues who have demitted office since our previous meet.

Friends, as per practice, let me now recapitulate some of the significant developments of parliamentary interest that have taken place since our previous meeting in Srinagar in June 2010. During this period, the Fifth, the Sixth, the Seventh and the Eighth Sessions of the Fifteenth Lok Sabha were held.

The Fifth Session commenced on 26 July and concluded on 31 August 2010. On 28 July 2010, some members made submissions during the Question Hour, regarding their notices of the Adjournment Motion to discuss the increase in prices of petroleum products, resulting in the increase in prices of essential commodities, thereby affecting the common man in the country. I disallowed these notices on the ground that an Adjournment Motion is always admitted on the failure of the Government to discharge the duties which are enjoined upon it by the Constitution and the law. However, appreciating the concern of the hon'ble members about the issue, I observed that a decision to introduce price reform measures, which affect the common man, needed to be discussed by the House, which might be done by giving notices for some other forms of discussion. Hence, the House discussed this issue under Rules 191 and 342. Thereafter, I moved the following resolution :— "Considering the impact of inflation on country's economy, this House urges upon the

Government to take effective action to mitigate its adverse effect on common man." The resolution was adopted.

As the Monsoon Session progressed, the Lok Sabha took up for discussion several matters of urgent public importance under Rule 193 including a Short Duration Discussion on illegal mining in various States on 17 August 2011. Keeping in view the seriousness of the matter, I had allowed the discussion even though the petitions pertaining to illegal mining in certain States were pending before the hon'ble Supreme Court, but, of course, with a note of caution that nothing should be said during the debate which might prejudice the course of justice in any manner. The discussion on the motion remained inconclusive. Apart from this, the House also discussed the situation arising out of the increasing atrocities against the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the country. Making use of the procedural device of Calling Attention, the members mentioned the issues relating to the rampant adulteration of food and edible substances, and the recent spurt in the incidents of *honour killings* in the country.

The Sixth Session, being the Winter Session of the Fifteenth Lok Sabha, commenced on 9 November 2010 and concluded on 13 December 2010. The divergence in opinion between the Opposition and the Treasury Bench over the issue of 2G Spectrum allocations for several days, almost paralyzed the proceedings of the House. As the impasse continued, I held meetings with the Leaders of various Parties in Lok Sabha several times, seeking their cooperation to conduct the business of the House smoothly.

The Fifteenth Lok Sabha met for its Seventh Session on 21 February 2011. Being the First and the Budget Session of the year, the Session commenced with the Address by the Hon. President of India to the members of both the Houses assembled together in the Central Hall. This session

concluded on 25 March 2011. One of the notable decisions that the House took during the Session was that of initiating a motion for appointment of a Joint Committee of both Houses of Parliament regarding "allocation and pricing of telecom licences and spectrum". The Motion was moved and adopted by the House on 24 February 2011 after a detailed discussion. Subsequently, as we all know, the Joint Parliamentary Committee was constituted under the Chairmanship of Shri P.C. Chacko.

During the course of the Session, the House also adopted the Motion of Thanks on the President's Address and discussed and passed the Budget (Railways) for 2011-2012 and Budget (General) for 2011-2012. Meanwhile, the sittings of the House were rescheduled due to the ensuing Legislative Assembly elections in certain States that were fixed to be held in April-May. Therefore, to facilitate the passage of Railway Budget and General Budget in the changed circumstances, without the respective Demands for Grants being examined by the Standing Committees concerned, the Minister of Parliamentary Affairs, Shri Pawan Kumar Bansal moved a motion on 7 March 2011 for the suspension of Rule 331G, which was adopted by the House. Thereafter, I made the following observation: "…although, Rule 331G of the Rules of Procedure has been suspended to facilitate passing of the Demands for Grants without being referred to the concerned Departmentally Related Standing Committees, the Committees may, however, examine the Demands for Grants of the concerned Ministries and make reports thereon…" I am pleased to say that the said reports have been placed on the Table of the House.

You may recall that during the Budget Session of 2010, I had, for the first time, permitted the moving of cut motions to the Demands for Grants, which were to be guillotined.

However, some practical difficulties were faced at the time of disposal of those cut motions. So, I thought, it would be appropriate to devise some procedure. Accordingly, I requested the hon'ble members, whose cut motions to the Outstanding Demands had been circulated, to send the slips to the Table, within 15 minutes of such announcement, indicating the serial numbers of the cut motions they would like to move at the time of guillotine. Only those members, who sent their slips to the Table within the prescribed time limit, were permitted to move the cut motions at the time of guillotine.

Similarly, the Eighth Session, which commenced on 1 August and concluded on 8 September 2011, remained very eventful. The matters of urgent public importance like the issues relating to the Commonwealth Games, 2010, situation arising out of widespread corruption in the country and on the issues relating to setting up of a Lokpal were discussed in this session.

On 4th August, the Lokpal Bill, 2011 was introduced in the Lok Sabha. The House held a marathon debate on 27th August to discuss various issues relating to setting up of a strong and effective Lokpal. The day being a Saturday, an extra sitting of the House was called for the purpose. About one hundred and twenty-six members expressed their views on the issue before the debate ended with the reply of the Finance Minister, Shri Pranab Mukherjee. Taking the sense of the House, the proceedings of the day was referred to the Departmentally Related Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice. As the Committee is under the jurisdiction of the Rajya Sabha, the proceedings of the debate were forwarded to the hon'ble Chairman, Rajya Sabha. This was for the first time that the proceedings of the House were sent to any Standing Committee.

On 8th November 2010, the U.S. President Barack Obama addressed the members of both the Houses assembled together in the Central Hall. Paying tribute to the Father of Nation, he said in his motivating and inspiring address that he became the President of the United States because Mahatma Gandhi was his inspiration. He further said that by his successful experiment with peaceful *Satyagrah*, Mahatma Gandhi gave the world an example of a unique revolution through a non-violent movement. President Obama lavished praise on the vibrant and strong Indian democracy.

We had the privilege of hosting the Fifth Conference of Association of SAARC Speakers and Parliamentarians at New Delhi from 10 to 12 July 2011. The Conference, inaugurated by the hon'ble Prime Minister, Dr. Manmohan Singh was attended by fifty-three delegates from eight countries of the region including Afghanistan, which had joined the fraternity recently. The themes of the Conference *Consolidating Democracy: Strengthening Trust between Parliament and the People* and *Sustainable Development in SAARC Countries: the Way Forward*, were deliberated upon in six sessions spanning over two days. There was consensus on a host of issues in the Conference and it was indeed an educative experience for the Speakers and Parliamentarians from all the SAARC countries to come together and exchange views on topical subjects of common concern for the South Asian region. It was also decided that next conference onwards, we would have at least one woman member in every delegation and a meeting of these women representatives would also be organized.

At the end of the Conference, the delegates and other guests went to Jaipur and Ajmer Sharif. I am indeed grateful to Shri Shekhawat , Speaker of Rajasthan Legislative Assembly and the Government of Rajasthan for making excellent

arrangements during their sojourn. I am sure; they might have taken back home fond memories of the Pink City as well.

Last week from 15th to 17th September 2011, the Parliament of India organized a Seminar with the Inter Parliamentary Union. In this Seminar, Members of Parliament of Asian countries discussed for three days measures to stop violence against women. The Seminar was enriched by the experience and valuable suggestions given by the participants.

Coming to the theme of the Conference, the issues raised here certainly have a crucial bearing on our parliamentary democratic system and need to be discussed at great length. These include: *Determination of maximum period for Assent to Bills passed by the Legislature*; *Role of the Legislature in scrutinizing and making Laws of Good Governance* and *Era of Coalition Government — its compulsions and challenges*. Apart from this, we are also holding a Symposium on *Strengthening Constitutional Scheme of Checks and Balances* in addition to the Conference.

The first topic in the Agenda of the Conference is a pertinent question closely related to the working of our parliamentary system. Article 111 of the Constitution of India provides that when a Bill is passed by both the Houses of Parliament, it shall be presented to the President and the President shall declare that she either assents to the Bill or that she withholds assent therefrom. However, under the proviso to article 111, the President may return the Bill, other than a Money Bill, to the Houses for reconsideration. There is no specific mention in the Constitution of any time-limit within which it is mandatory for the President to declare either that she assents to the Bill or that she withholds her assent. Further, the proviso to article 111 also provides that if the

President wants to return the Bill, she shall do so "as soon as possible" after the Bill is presented to her.

The *Role of the Legislature in scrutinizing and making Laws of Good Governance* is the next subject chosen for discussion during this Conference. The task of reviewing and examining and discussing the proposed legislation and giving it final shape is immensely important. Enactment of law is not as easy as one thinks. Before a Bill becomes an Act, it passes through a well-defined procedural process — three readings, reference to Select/Joint Committee, Departmentally Related Standing Committees, inviting public opinion, consulting experts, etc. Before the law is enacted, it is discussed and scrutinized thoroughly on the floor of the House. Simultaneously, the issue is also discussed in other *fora* like political parties, NGOs etc.

The efficient and effective functioning of our Parliament is an important prerequisite for achieving the goals of democratic governance. During more than six decades of its functioning, our parliamentary system has established sound precedents and traditions and has reinforced our democracy as a whole. But, still aberrations do creep into the system. I admit that, at times, adjournments and disturbances interrupt the legislative proceedings. Hence, regular and meaningful scrutiny of its functioning is essential to make it infallible. I am sure, during the discussion on this topic, appropriate attention will be paid to all these emerging factors and challenges of today.

As regards the third topic, the emergence of the 'age of coalition' is closely associated with the growing complexity in the process of representation. Very few democracies are today untouched by the phenomenon of coalition and India is not an exception. The Indian experience shows that coalitions have not been alien to our soil. Though the emergence of coalition

was delayed in our country, however, in view of the inherent intricacies of mounting socio-political concerns and the process of evolving of consensus we have been facing in present circumstances, this system appears to be a likely solution. We have a more than a decade's experience of coalition governments. Nevertheless, the coalition governments have their own compulsions and challenges and it would be appropriate to deliberate extensively on these issues in this conference.

The future of a nation is shaped by its legislative bodies etc. I strongly believe that we shall constantly uphold the dignity and prestige of all legislative bodies and thereby maintain the high traditions of Parliamentary Democracy.

I express my sincere gratitude to Shri Shivraj V. Patil Ji, Hon'ble Governor; Shri Ashok Gehlot Ji, Hon'ble Chief Minister; Shri Deependra Singh Shekhawat Ji, Hon'ble Speaker, Rajasthan Legislative Assembly and to all the members of the Secretariat for organizing this 76th Conference of Presiding Officers meticulously. The way they have been taking care of the Hon'ble guests and have made suitable arrangements for their Rajasthan trip is indeed commendable.

I hope we will have immensely beneficial deliberations at the Conference. With these words, I have great pleasure in inaugurating this Conference.

Thank you.

श्रीमती मीरा कुमार
माननीय लोक सभा अध्यक्ष
का
21 सितम्बर, 2011
को
जयपुर में

भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के
76वें सम्मेलन
में
उद्घाटन भाषण

Inaugural Address
by
Smt. Meira Kumar
Hon'ble Speaker, Lok Sabha

at the
76th Conference of Presiding Officers of Legislative Bodies in India
at Jaipur
on
21 September, 2011

Lok Sabha Secretariat
New Delhi